पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
***

भारत सरकार के मुख्यालय में कामकाजी पत्रकारों को प्रत्यायन प्रदान किए जाने हेतु दिशानिर्देश

1. संक्षिप्त नाम

इन दिशानिर्देशों को '**केंद्रीय समाचार मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश, 2022**' कहा जाएगा ।

2. प्रारम्भ और विस्तार

2.1 ये दिशानिर्देश भारत सरकार के मुख्यालय में कामकाजी पत्रकारों और अन्य वर्गों के व्यक्तियों (जैसा इसकी ओर से विनिर्दिष्ट किया गया हो) को प्रत्यायन प्रदान किए जाने हेतु लागू होंगे और ये दिशानिर्देश इस संबंध में पहले के सभी दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करेंगे ।

3. संशोधन

केंद्रीय सरकार आवश्यकतानुसार समय-समय पर दिशानिर्देशों में संशोधन कर सकती है।

4. परिभाषाएं

4.1 "केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समिति" का तात्पर्य इन दिशानिर्देशों के अधीन भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है।

4.2 'डिजिटल न्यूज पब्लिशर' का तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियमावली, 2021 के नियम 2(1) के खंड (t) में यथापरिभाषित समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशक से है।

4.3 'समाचार पत्र' की वही परिभाषा होगी, जो प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 में दी गई है।

4.4 'समाचार मीडिया संगठन' का तात्पर्य एक ऐसे संगठन से है जिसमें एक समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, सेटेलाइट टीवी समाचार चैनल, दूरदर्शन समाचार, ऑल इंडिया रेडियो (समाचार सेवा प्रभाग), और एक डिजिटल समाचार प्रकाशक सक्रिय रूप से काम करते हैं।

4.5 एक 'दैनिक समाचार पत्र' सप्ताह में कम से कम पांच दिन प्रकाशित किया जाएगा।

4.6 एक 'साप्ताहिक' और 'पाक्षिक समाचार पत्र' के एक वर्ष में क्रमशः 45 और 22 से कम संस्करण नहीं होंगे।

4.7 'कामकाजी पत्रकार' का तात्पर्य व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति संहिता, 2020 में यथापरिभाषित एक कामकाजी पत्रकार से है।

4.8 'प्रत्यायन' का तात्पर्य कामकाजी पत्रकारों और अन्य ऐसे व्यक्तियों जिन्हें सरकारी सूचना और पत्र सूचना कार्यालय तथा/अथवा भारत सरकार की अन्य एजेंसियों द्वारा लिखित या चित्रीय रूप में जारी की गयी समाचार सामग्री के निर्धारित शासकीय स्रोतों का पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा नामित किया गया हो, को मान्यता प्रदान करना है।

4.9 'यूनिक विजिटर' का आशय किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी वेबसाइट पर पृष्ठों (वेबपेज) का अनुरोध करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों की संख्या को संदर्भित करता है चाहे वे कितनी भी बार विजिट करें।

4.10 'न्यूज एग्रीग्रेटर' एक ऐसी इकाई को संदर्भित करता है जो साफ्टवेयर या वेब एप्लिकेशन का उपयोग करके विभिन्न स्रोतों जैसे समाचार वेबसाइटों, ब्लॉगों, पाडकास्ट, विडियोब्लॉग, प्रयोक्ता द्वारा जमा किए गए लिंक आदि से समाचार सामग्री को एक स्थान पर एकत्रित करता है।

4.11 'डोमेन पंजीकरण' किसी डोमेन नाम को पंजीकृत करने की एक प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो एक या एक से अधिक आईपी एड्रस को ऐसे नाम से पहचानता है जो याद रखने में आसान होते हैं, और विशेष वेब पेज की पहचान करने के लिए यूआरएल में प्रयोग किया जाता है और डोमेन नाम पंजीकृत करने वाले व्यक्ति या व्यवसाय को डोमेन नेम रजिस्ट्रान्ट कहा जाता है।

5. केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समिति

5.1 भारत सरकार इन नियमों के अधीन निर्धारित कार्यों के निर्वहन के लिए प्रधान महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय की अध्यक्षता में और भारत सरकार द्वारा नामित किए गए 25 सदस्यों को शामिल करते हुए एक केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समिति (जिसे सीएमएसी के रूप में जाना जाता है) का गठन करेगी।

5.2 सीएमएसी का गठन होने के बाद सीएमएसी अपनी पहली बैठक की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगी।

5.3 सीएमएसी सामान्य तौर पर एक तिमाही में एक बैठक करेगी अथवा आवश्यक होने पर एक से अधिक बैठकें की जा सकती है।

5.4 सीएमएसी का निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिया जाएगा और किसी भी असहमति को विधिवत दर्ज किया जाएगा।

5.5 सीएमएसी की दो बैठकों की अंतरावधि के दौरान पैरा 8.2 में संदर्भित प्रत्यायन मामलों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए प्रधान महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय की अध्यक्षता में सीएमएसी द्वारा नामित किए गए पांच सदस्यों को शामिल करते हुए सीएमएसी की एक उपसमिति होगी और ऐसे सभी निर्णय सीएमएसी के समक्ष सूचना के लिए इसकी अगली बैठक में रखे जाएंगे।

6. प्रत्यायन के सामान्य नियम

6.1 अनुसूची I में उल्लिखित पात्रता शर्तों के अनुसरण में इन दिशानिर्देशों और कोटा के भीतर तथा दिशानिर्देशों की अनुसूची II और अनुसूची III में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अनुसार कामकाजी पत्रकारों, स्वतंत्र पत्रकारों, अनुभवी पत्रकारों, कैमरामैनों और तकनीशियनों को प्रत्यायन दिया जाएगा।

6.2 पैरा 6.1 में संदर्भित केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रत्यायन दिया जाएगा जो दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रहते हैं।

6.3 प्रत्यायन समाचार माध्यमों के प्रतिनिधियों को कोई आधिकारिक या विशेष हैसियत प्रदान नहीं करेगा, अपितु यह केवल व्यावसायिक श्रमजीवी पत्रकार के रूप में उनकी पहचान को मान्यता देगा।

6.4 केवल उन्हीं समाचार मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों और उनके संगठन के पैरा 6.1 में संदर्भित व्यक्तियों के प्रत्यायन पर विचार किया जाएगा जो आवेदन करने से पहले संगठन में कम से कम लगातार एक वर्ष से कार्य कर रहे हों तथा जिनके आवेदन प्रधान संपादक/संपादक/कार्यकारी संपादक/रेजीडेंट संपादक के अनुमोदन से विधिवत रूप से भेजे गए हों।

6.5 प्रकाशन में मुख्य रूप से समाचार और/अथवा भारत सरकार के मुख्यालयों के समाचार और सूचनाओं सहित सामान्य जनहित की टिप्पणियों के रूप में सामग्री होनी चाहिए।

6.6 इन-हाउस जर्नल, तकनीकी/पेशेवर प्रकाशन आदि जैसे विशेष अभिरुचि की सामग्री रखने वाले प्रकाशन प्रत्यायन के लिए पात्र नहीं हैं।

6.7 केबल टेलिविजन नेटवर्क के माध्यम से केबल टेलिविजन सर्विस प्रदान करने वाले केबल संचालकों के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा चलाए जाने वाले संगठन प्रत्यायन के लिए पात्र नहीं हैं।

6.8 प्रत्यायन निलंबित/निरस्त किया जाएगा यदि कोई प्रत्यायित पत्रकार:

(क) गैर-पत्रकारिता गतिविधियों के लिए प्रत्यायन का प्रयोग करता हो;

(ख) किसी गंभीर संज्ञेय अपराध के लिए आरोपित किया गया हो;

(ग) यदि वह या उस समाचार मीडिया संगठन जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है उसके पास असत्य/धोखाधड़ी/जाली दस्तावेज पाए गए हों, इस दशा में कामकाजी पत्रकार/मीडिया संगठन सीएमएसी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कम से कम दो वर्ष और अधिकतम 5 वर्षों के लिए प्रत्यायन से वंचित हो जाएगा।

(घ) संगठन जिसकी ओर से उसे प्रत्यायित किया गया है, उसके लिए काम करना बंद कर दिया हो या अनियंत्रित कारणों (जैसे औद्योगिक विवाद, जन-स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल या प्राकृतिक आपदाएं) से कुछ समय के लिए बंद होने के अलावा यदि संगठन में स्वयं कार्य करना बंद कर दिया हो;

(ड.) यदि वह समाचार मीडिया संगठन का प्रतिनिधित्व करना बंद कर देता है जिसकी ओर से उसे प्रत्यायन दिया गया है और तत्संबंधी जानकारी को 7 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में प्रधान महानिदेशक के संज्ञान में न लाया गया हो;

(च) असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के साथ निर्दिष्ट तारीख तक नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया हो;

(छ) यदि वह मीडिया संगठन जिसकी ओर से उसे प्रत्यायन दिया गया है, उसके प्रत्यायन को निरस्त करने की सिफारिश करता है तो ऐसी स्थिति में संगठन को प्रत्यायन कार्ड वापिस करना होगा ताकि उसका गलत इस्तेमाल न हो सके;

(ज) इस प्रकार का कोई भी कार्य करना जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, लोक आदेश, शिष्टता या नैतिकता के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो या न्यायालय की अवमानना या मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के संबंध में हो;

(झ) इन दिशानिर्देशों के तहत प्रत्यायन के किसी भी अनुबंधों व शर्तों का उल्लंघन करता हो;

6-9 प्रत्यायन की सिफारिश या अस्वीकार करने का अधिकार केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समिति (सीएमएसी) के पास है।

6.10 सीएमएसी द्वारा प्रत्यायन के लिए मंजूर किए गए मामलों को पुलिस सत्यापन के लिए भेजा जाएगा और पत्र सूचना कार्यालय का प्रत्यायन कार्ड पुलिस प्राधिकारी से संतोषजनक रिपोर्ट और गृह मंत्रालय, भारत सरकार की सहमति के पश्चात ही जारी किया जाएगा।

6.11 एक मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी सार्वजनिक/सोशल मीडिया प्रोफाइल, विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स या किसी अन्य फॉर्म या किसी भी प्रकाशित कार्य पर "भारत सरकार से मान्यता प्राप्त" शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा।

6.12 प्रत्यायन एक कलैण्डर वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा और यदि प्रत्यायित कार्यरत पत्रकार दिशा-निर्देशों के मानदण्डों को पूरा करता है तो नवीनीकरण के लिए विचार किया जा सकता है।

6.13 स्वामित्व, संगठन का नाम, समूह या श्रृंखला का नाम, या डोमेन नाम (वेबसाइट के मामले में) के संबंध में किसी भी परिवर्तन के 7 दिनों के भीतर, लिखित रूप में पीआईबी को सूचित करने के लिए समाचार मीडिया संगठन की जिम्मेदारी होगी, जिसे संस्था की ओर से मान्यता प्रदान की जाती है।

6.14 प्रत्यायित व्यक्ति, जिसको जिस श्रेणी के लिए प्रत्यायन प्रदान किया गया है, उसमें कोई परिवर्तन होने की स्थिति में मौजूदा कार्ड को 7 दिनों के भीतर पीआईबी को सरेंडर करना होगा। ऐसा न करने पर पत्रकार को एक वर्ष के लिए मान्यता से वंचित कर दिया जाएगा।

7. प्रत्यायन प्रदान करने की प्रक्रिया

7.1 प्रत्यायन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया प्रधान महानिदेशक, पीआईबी द्वारा निर्धारित की जाएगी और आवेदक को एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और ऐसे दस्तावेज जमा करने होंगे जो समय-समय पर निर्दिष्ट किए जा सकते हैं:

7.2 पीआईबी, मान्यता प्रदान करने या उसके नवीनीकरण से पहले, आवेदन में किए गए दावों की विश्वसनीयता और वास्तविकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक किसी भी अतिरिक्त जानकारी और दस्तावेजों की मांग कर सकता है।

8. प्रधान महानिदेशक, पीआईबी के कार्य:

8.1 समिति के अध्यक्ष के रूप में सीएमएसी की बैठक बुलाना।

8.2 सीएमएसी की उप-समिति की बैठक बुलाना और किसी पात्र व्यक्ति को आवश्यकता या अत्यावश्यकता के मामलों में मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदनों पर निर्णय लेना।

8.3 निम्नलिखित श्रेणी के मामलों के संबंध में मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदनों पर निर्णय लेना:

(i) जहां एक मान्यता प्राप्त पत्रकार अपने संगठन को किसी अन्य मान्यता प्राप्त संगठन में बदलता है और कार्यमुक्ति की तारीख से 7 दिनों के भीतर सूचित करता है, ऐसा न करने पर इसे नया मामला माना जाएगा। इसकी अनुमति दी जानी चाहिए बशर्ते कि नया संगठन दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता के लिए पात्र हो।

(ii) दिशा-निर्देशों में निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन तकनीशियन/संवाददाता/कैमरामैन /संपादक की श्रेणी में परिवर्तन के लिए;

(iii) कार्यात्मक आवश्यकताओं के लिए पीआईबी, डीडी (समाचार) और एआईआर एनएसडी के सेवारत अधिकारी और कर्मचारी:

(iv) एक दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, टीवी चैनल या एक डिजिटल समाचार प्रकाशक का संपादक, भारत का नागरिक होने के नाते, सुरक्षा मंजूरी और ऐसी अन्य शर्तें जो सीएमएसी द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं के अध्यधीन होगा।

8.4 पैरा 8.3 (i) और (ii) में संदर्भित निर्णयों को सूचना के लिए सीएमएसी की अगली बैठक में उसके समक्ष रखा जाएगा।

पात्रता शर्तें

(खंड 6.1)

(क) समाचार प्रतिनिधि

क्र.सं.	श्रेणी	शर्तें
1.	व्यावसायिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति संहिता, 2020 में यथापरिभाषित कामकाजी पत्रकार जो एक समाचार संगठन की समाचार सभा/समाचार ब्यूरो में कार्यरत हों।	(i) समाचार संगठनों में पूर्णकालिक पत्रकार / कैमरामैन के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का पेशेवर अनुभव। (ii) समाचार मीडिया संगठन की ओर से मान्यता के लिए और मानदेय/रिटेनरशिप/अंशकालिक आधार पर काम करने वाले व्यक्तियों को मान्यता के उद्देश्य से कार्यरत पत्रकार के रूप में नहीं माना जाएगा। संविदा पत्रकारों के मामले में, अनुबंध आवेदन की तारीख से कम से कम 1 वर्ष के लिए वैध होना चाहिए। प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज: (क) आधार कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट की प्रति। (ख) संगठन के संपादक/प्रधान संपादक/ कार्यकारी संपादक/ रेजिडेंट संपादक से सिफारिश पत्र। (ग) वर्तमान संगठन के नियुक्ति पत्र की प्रति। (घ) पिछले तीन महीनों की वेतन पर्ची की प्रति।

		(ड़) पिछले संगठन के नियुक्ति और कार्यमुक्ति पत्र की प्रति। (च) पिछले छह महीनों की बायलाइन वाली कतरनें/तस्वीरें। (छ) निवास प्रमाण-बिजली बिल/ किरायानामा/टेलीफोन बिल/ वोटर कार्ड, आदि।
2.	स्वतंत्र कार्यरत पत्रकार, किसी समाचार मीडिया संगठन द्वारा नियोजित नहीं।	(i) समाचार संगठनों में पूर्णकालिक पत्रकार/कैमरामैन के रूप में न्यूनतम 15 वर्ष का पेशेवर अनुभव। (ii) कम से कम 5 वर्ष के लिए पीआईबी कार्ड होना चाहिए। प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज: (क) आधार कार्ड/पैन कार्ड पासपोर्ट की प्रति। (ख) पिछले संगठनों की नियुक्ति और कार्यमुक्ति पत्र की प्रति। (ग) प्रिंट मीडिया के मामले में पिछले छह महीनों में प्रकाशित बायलाइन के साथ 20 क्लिपिंग फोटोग्राफ इन-हाउस पत्रिकाओं से कतरनें स्वीकार नहीं की जाएगीं। (घ) इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल/ ऑनलाइन मीडिया पत्रकारों के लिए, पिछले छह महीनों में उनके पत्रकारिता कार्य के लिंक कम से कम 20 की संख्या में हों।

3.	अनुभवी पत्रकार	एक स्वतंत्र पत्रकार को इस श्रेणी के अंतर्गत प्रत्यायन कार्ड निम्नलिखित संचयी शर्तों के अधीन दिया जाएगा। (क) व्यक्ति को 65 वर्ष की आयु का होना चाहिए। (ख) वह कम से कम 30 वर्षों से पत्रकारिता का कार्य कर रहा हो। (ग) एक पत्रकार के रूप में सार्वजनिक रूप से प्रशंसित विशिष्ट कैरियर हो।
4.	तकनीशियन (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया)	तकनीशियन को संपादक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत अनुशंसित संगठन के साथ पूर्णकालिक रूप से काम करना चाहिए।

(ख) संगठनों/एजेंसियों की ओर से प्रत्यायन प्रदान करने के लिए पात्रता शर्तें:

1. प्रिंट मीडिया

क्र.सं.	श्रेणी	शर्तें
1.	समाचार पत्र (दैनिक)	प्रति प्रकाशन दिवस पर प्रकाशन 10,000 प्रतियों से कम नहीं होना चाहिए। समाचार पत्र का आकार 6 पूर्ण आकार के पृष्ठ या 12 टैब्लॉइड आकार के पृष्ठ होने चाहिए।
2.	समाचार पत्र (साप्ताहिक/पाक्षिक)	प्रति प्रकाशन दिवस पर प्रकाशन 15,000 प्रतियों से कम नहीं होना चाहिए। साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए समाचार पत्र का आकार 6 पूर्ण आकार के पृष्ठ या 12 टैब्लॉइड आकार

		के पृष्ठ और पाक्षिक समाचार पत्र के लिए 8 पूर्ण आकार के पृष्ठ या 16 टैब्लॉइड आकार के पृष्ठ होने चाहिए।
3.	पत्र-पत्रिकाएं/मैगजीन्स (केवल पाक्षिक तक)	प्रति प्रकाशन दिवस में कम से कम 40 पृष्ठों के साथ प्रकाशन 10,000 प्रतियों से कम नहीं होना चाहिए।

अतिरिक्त शर्त: प्रकाशक को पिछले तीन वर्षों का आरएनआई वार्षिक विवरण दाखिल किया होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज: (i) आरएनआई पंजीकरण प्रमाण पत्र (ii) आरएनआई/एबीसी से सर्कुलेशन प्रमाण पत्र के साथ, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा दस्तावेज को प्रमाणित करने वाला पत्र। (iii) जिन समाचार पत्रों का दैनिक प्रकाशन 10,000 से 25,000 के बीच है, उन्हें सीएजी/आरएनआई पैनलबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित प्रकाशन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(ग) समाचार संगठन (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया)

क्र.सं.	**श्रेणी**	**शर्तें**
1.	सेटेलाइट चैनल (समाचार और सम-सामयिकी)	चैनल, समाचार और करंट अफेयर्स चैनल होना चाहिए, जिसके पास निजी सेटेलाइट टीवी चैनलों के लिए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वैध अनुमति हो। प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज: 1. न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल के रूप में अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनुमति पत्र की प्रति।

		2 न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल के रूप में अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से नवीनीकरण अनुमति पत्र की प्रति। 3. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से नए नाम/लोगो की अनुमति की प्रति (यदि नाम/लोगो बदल दिया गया है)

(घ) समाचार एजेंसियां

1.	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक (फोटो सेवाएं शामिल)	(क) कम से कम 100 ग्राहक होने चाहिए (सूची संलग्न की जाए) (ख) अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वैध अनुमति (इलेक्ट्रॉनिक समाचार एजेंसी के मामले में)

आवश्यक दस्तावेज: (i) समाचार एजेंसी का पंजीकरण प्रमाण पत्र, (ii) सीए द्वारा प्रमाणित नवीनतम वार्षिक राजस्व विवरण (iii) नियमों और शर्तों सहित ग्राहकों के साथ नवीनतम समझौते की प्रति।

(च) डिजिटल समाचार प्रकाशक

(i) प्रत्यायन की सामान्य शर्तें, जैसा कि इन दिशानिर्देशों में पहले उल्लेख किया गया है, इस श्रेणी में आवेदन करने वाले पत्रकारों पर भी लागू होंगी।

(ii) न्यूज एग्रीगेटर्स को मान्यता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) समाचार प्रकाशक ने सूचना प्रौद्योगिकी के नियम 18 (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता), नियमावली, 2021, के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत की है और नियमों का उल्लंघन नहीं किया है।

(iv) वेबसाइट कम से कम एक वर्ष पुरानी होनी चाहिए और कम से कम एक वर्ष के लिए एक ही नाम (वेबसाइट का पता) के तहत लगातार संचालन में होनी चाहिए। अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जब आवेदक उस विशेष वेबसाइट की ओर से मान्यता के लिए आवेदन करता है। यह उनके डोमेन पंजीकरण द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। साइट का डोमेन नाम भी आवेदन की तारीख से कम से कम अगले दो वर्षों के लिए पंजीकृत होना चाहिए

(v) आवेदकों को वेबसाइट के सीएजी-अनुमोदित पैनलबद्ध लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले छह महीनों की अपनी वेबसाइट की औसत मासिक यूनिक विज़िटर संख्या की रिपोर्ट देनी होगी|

(vi) पत्रकारों को मीडिया संगठनों में काम करने का कम से कम पांच साल का अनुभव होना चाहिए और पूर्णकालिक समाचार सामग्री निर्माण के लिए डिजिटल समाचार प्रकाशक द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए।

(vii) वेबसाइट का भारत में एक पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए और संवाददाता दिल्ली/ एनसीआर का निवासी होना चाहिए। समाचार पोर्टल का संपादक भारतीय नागरिक होना चाहिए।

(viii) भारत सरकार द्वारा निर्धारित मौजूदा नियमों और विनियमों का पालन करना वेबसाइट के मालिक की जिम्मेदारी होगी।

(ix) यदि वेबसाइट काम करना बंद कर देती है, तो उसकी मान्यता वापस ले ली जाएगी। आवेदक के साथ-साथ वेबसाइट के स्वामित्व वाले संगठन द्वारा 7 दिनों के भीतर पीआईबी को इसकी सूचना दी जानी चाहिए।

(x) यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी किसी भी तरह से गलत/असत्य पाई जाती है, तो आवेदक को निलंबित किया जा सकता है और/अथवा अगले तीन वर्षों के लिए मान्यता के लिए आवेदन करने से वंचित किया जा सकता है।

(छ) विदेशी मीडिया:

विदेशी समाचार मीडिया के कामकाजी पत्रकार और संगठन भी समान पात्रता के अधीन शासित होंगे जैसा कि इस अनुसूची के (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ड़) में उल्लिखित है। गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से सिफारिश/मंजूरी मिलने के बाद आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, इस श्रेणी के अंतर्गत कोई फ्रीलांस कार्ड नहीं दिया जाएगा।

विदेशी मीडिया के लिए, जे वीजा की वैधता तक पीआईबी कार्ड जारी किया जाएगा।

(ज) संगठन और श्रेणी में परिवर्तन के लिए नियम और शर्तें:

1) प्रत्यायित पत्रकार को पिछले संगठन से कार्यमुक्त होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर मौजूदा कार्ड पीआईबी को लौटा देना चाहिए।
2) यदि परिवर्तन कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह के भीतर लागू नहीं किया जाता है, तो इस मामले को नया मामला माना जाएगा।
3) आवश्यक दस्तावेज :
   (i) प्रत्यायन प्रदान करने हेतु संपादक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से सिफारिश पत्र (फ्रीलांसर श्रेणी के लिए लागू नहीं)।
   (ii) वर्तमान संगठन से नियुक्ति पत्र की प्रति।
   (iii) पिछले संगठन से कार्यमुक्ति आदेश।

(झ) नवीनीकरण:

1. सभी कार्ड धारकों को पीआईबी कार्ड नवीनीकरण के लिए प्रति वर्ष ऑनलाइन आवेदन करना होगा, और नवीनीकरण आवेदन पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार विचार किया जाएगा।
2. नवीनीकरण के समय, नवीनीकरण पर विचार किए जाने के लिए मांगे गए दस्तावेज जरूर प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

अनुसूची-II

समाचार पत्रों/मीडिया प्रतिष्ठानों की विभिन्न श्रेणियों के लिए कोटे की अनुसूची
(खंड 6.1)

(क) प्रिंट मीडिया

1. दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक

	प्रकाशन आंकड़े	प्रत्यायनों की संख्या
1.	10,000 से 25,000	01
2.	25,001 से 50,000 के बीच	02
3.	50,001 से 75,000 के बीच	04
4.	75,001 से एक लाख	10
5.	एक लाख से अधिक	15

2. समाचार एजेंसियां

एजेंसी	सब्सक्राइबरों की संख्या	प्रत्यायनों की संख्या
प्रिंट	100 से 500	20
	500 से अधिक	50
इलेक्ट्रानिक	100 से 500	12 संवाददाता + 12 कैमरापर्सन + 12 तकनीशियन
	500 से अधिक	15 संवाददाता + 15 कैमरापर्सन + 15 तकनीशियन

3. विदेश आधारित दैनिक समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं-07
4. विदेशी समाचार एजेंसियां-20

अनुसूची-III

इलैक्ट्रॉनिक और डिजिटल समाचार प्रकाशकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए कोटे की अनुसूची

(खंड 6.1)

1. टी.वी. न्यूज़ प्रोडक्शन/टेलीकास्ट/संगठन

क्र सं.	श्रेणी	प्रत्यायनों की संख्या
1.	सैटेलाइट समाचार टीवी चैनल	15 संवाददाता + 15 कैमरामैन + 15 तकनीशियन

2. विदेशी टी.वी./इलैक्ट्रानिक मीडिया

क्र सं.	श्रेणी	प्रत्यायनों की संख्या
1.	रेडियो प्रसारण संगठन	4 संवाददाता
2.	टीवी न्यूज प्रसारण संगठन और समाचार एजेंसियां	8 संवाददाता और 8 कैमरामैन/तकनीशियन
3.	समाचारों और समसामयिकी मामलों के कार्यक्रमों का घंटेवार प्रसारण करने वाले टीवी और रेडियो समाचार चैनल	12 संवाददाता 12 कैमरामैन

3. डिजिटल समाचार प्रकाशक

क्र सं.	श्रेणी	प्रत्यायनों की संख्या
1.	पिछले 6 महीनों से प्रति माह 10 लाख से 50 लाख यूनिक विजिटर वाली वेबसाइटें	1
2.	पिछले 6 महीनों से प्रति माह 50 लाख से 1 करोड़ तक यूनिक विजिटर वाली वेबसाइटें	2
3.	पिछले 6 महीनों से प्रति माह 1 करोड़ से अधिक यूनिक विजिटर वाली वेबसाइटें	4

नोट: प्रिंट प्रकाशन और टीवी समाचार चैनल जिनकी ओर से प्रत्यायन प्रदान किया गया है, संबंधित डिजिटल समाचार प्रकाशनों के पात्र कामकाजी पत्रकारों की प्रत्यायन आवश्यकताओं को उनके मौजूदा कोटे के भीतर समायोजित करेंगे।